बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 15/06/2026

अधिसूचना

संख्या–नि॰प्रा॰/नि॰प॰ 1–12/2026 ..1464....... प्राधिकार की अधिसूचना संख्या–401 दिनांक 16.02.2026 द्वारा **डिहरी सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ, प्रखंड–डिहरी, जिला–रोहतास** के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। मतदाता सूची पर विवाद के कारण उक्त संघ/समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या–562 दिनांक 06.03.2026 द्वारा स्थगित किया गया था। प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक 1426 दिनांक 10.06.2026 द्वारा मतदाता सूची विवाद का निष्पादन हो चुका है।

2. अतः उक्त के आलोक में **डिहरी सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ** के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या–401 दिनांक 16.02.2026 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत् निर्धारित किया जाता है–

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखते हुए संशोधित कार्यक्रम तथा संशोधित मतदाता सूची का निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पुनः प्रकाशन	18.06.2026 (गुरूवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	25.06.2026 (गुरूवार) एवं 27.06.2026 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	30.06.2026 (मंगलवार) एवं 01.07.2026 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	02.07.2026 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	09.07.2026 (गुरूवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	09.07.2026 (गुरूवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	11.07.2026 (शनिवार)

3. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **डिहरी सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय–3 की कंडिका–(1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0), डिहरी, रोहतास इसका अनुपालन प्रतिवेदन **दिनांक 22.06.2026** तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. **मतदान केन्द्र संघ/समिति कार्यालय से अलग किसी सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 2232 दिनांक 12.12.2024 में दिये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।**

5. मतदान का समय 07.00 बजे पूर्वाह्न से 04.30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात् प्रपत्र–ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे। इसके लिए अधिसूचना संख्या–401 दिनांक 16.02.2026 के परिशिष्ट–1 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

6. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 11.07.2026 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश**

"सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134–142 पर देखा जा सकता है।

7. अधिसूचना संख्या–401 दिनांक 16.02.2026 की शेष बातें यथावत रहेगी।

15/6/26
(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1464 पटना/ दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

15/6/26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1464 पटना/ दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना /जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), रोहतास /उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स0स0), रोहतास /पुलिस अधीक्षक, रोहतास /अपर समाहर्त्ता, रोहतास /जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0), रोहतास/प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), डिहरी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), रोहतास से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), डिहरी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), डिहरी, रोहतास को निदेशित किया जाता है कि प्राधिकार के पत्रांक–9065 दिनांक 02.07.2012 द्वारा निर्वाचन संचालन हेतु निर्गत आवश्यक अनुदेश का अनुसरण आवश्यक संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) करेंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाईट http://bsea.bihar.gov.in पर भी उपलब्ध है।

15/6/26
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1464 पटना/ दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1464 पटना/ दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

15/6/26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1464 पटना/ दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपिः प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/6/26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1464 पटना/ दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा–2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोपफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेबसाईट पर की जानेवाली विभिन्न प्रविष्टियों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

15/6/26

संयुक्त सचिव।

655

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 16/02/2026

अधिसूचना

संख्या–नि॰ प्रा॰/04–01–02/2025 ..401........ चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **अनुलग्नक–01 में अंकित सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ/सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड की प्रबंधकारिणी समिति** का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित है अथवा जिनका निर्वाचन देय है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा–4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न कंडिका–4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **अनुलग्नक–01 में अंकित सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ/सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड** के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 18.03.2026 (बुधवार)** की तिथि नियत करता है तथा संघ के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन संघ के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने **पत्र संख्या– 90 दिनांक 12.01.2026** से मतदाता सूची तैयार करने के लिए **कट–ऑफ तिथि दिनांक 31.12.2025** निर्धारित की गयी है एवं तद्नुसार मतदाता सूची का **अंतिम प्रकाशन दिनांक 06.02.2026** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. **अनुलग्नक–01 में अंकित सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ/सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड** के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता हैः–

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन	18.02.2026 (बुधवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	06.03.2026 (शुक्रवार) एवं 07.03.2026 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	09.03.2026 (सोमवार) एवं 10.03.2026 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	11.03.2026 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	18.03.2026 (बुधवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	18.03.2026 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	20.03.2026 (शुक्रवार)

5. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा–14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक–4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधन लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक

मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए अनुलग्नक-2 पर संलग्न **प्रपत्र-ई० 1** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना **दिनांक 18.02.2026 (बुधवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। **प्रपत्र-ई० 1** को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्ति करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कंडिका-(1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भी भेजी जायेगी। उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा।

7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र- ई० 3** (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र- ई० 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को **ई-मेल (bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही **प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।**

8. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक **प्रपत्र-ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना निर्धारित तिथियों को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। **मतदान का समय 7:00 बजे पूर्वाह्न 4:30 बजे अपराह्न तक होगा।** प्राधिकार का निर्देश है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की **अवधि 7:00 बजे पूर्वाह्न 3:00 बजे अपराह्न तक** निर्धारित की जा सकती है। इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से उक्त तिथियों को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-ई॰ 1) में किया जायेगा।

9. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति मतदान के पश्चात् उसी दिन अथवा अगले दिन को सुबह 08:00 बजे से शुरू की जाय। यदि

मतगणना मतदान के दिन ही होती है तो कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि दूसरे दिन मतगणना करायी जाती है तो वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त पेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। अनुलग्नक–1 पर संलग्न प्रपत्र–ई 1 में मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जायगा। सभी प्रपत्रों "ई" (यथा–ई 1, ई 2 इत्यादि) में संशोधन किया गया है। अतः सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु "निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित)" में उल्लिखित प्रपत्रों का ही उपयोग किया जायेगा। उक्त प्रपत्र प्राधिकार के वेबसाईट **https://.bsea.bihar.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

10. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव विडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

11. **निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न परिशिष्ट–1 में निर्देश दिये गये हैं।**

12. **निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र– ई0 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट–1 के निर्देशों के अनुरूप अपलोड करायेंगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।**

13. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134–139 पर देखे जा सकते हैं। 16-2-26

(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 401 पटना / दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। 16-2-26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 401 पटना / दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) / संबंधित उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स0स0) / संबंधित पुलिस अधीक्षक / संबंधित अपर समाहर्त्ता / संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) को निदेशित किया जाता है कि प्राधिकार के पत्रांक–9065 दिनांक 02.07.2012 द्वारा निर्वाचन संचालन हेतु निर्गत आवश्यक अनुदेश का अनुसरण आवश्यक संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) करेंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाईट http://bsea.bihar.gov.in पर भी उपलब्ध है। 16-2-26

संयुक्त सचिव

652

ज्ञापांक : 401 पटना/ दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपिः संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधि ससमय निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियां के आधार पर जिन–जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित संघ को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

16.2.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 401 पटना/ दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.2.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 401 पटना/ दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

16.2.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 401 पटना/ दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपिः प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16.2.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 401 पटना/ दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा–2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोपफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेबसाईट पर की जानेवाली विभिन्न प्रविष्टियों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

16.2.26

संयुक्त सचिव।

1651

अनुलग्नक–1

निर्वाचन हेतु सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ की सूची

क्र०	जिला	प्रखंड	सब्जी समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रोहतास	डिहरी	डिहरी सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ	
2	सारण	दिघवारा	शीतलपुर सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड	

16.2.26

650

अनुलग्नक - 2

....समिति का निर्वाचन

प्रपत्र-ई० 1

सूचना का प्रपत्र

जिला ...., प्रखंड .... के अन्तर्गत ....(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक ....को किया जाना है,

मैं...निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है –

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या	आरक्षित कोटि (यदि लागू हो)
1.	2.	3.

(ii) एकल पद, जैसे- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इत्यादि अनारक्षित रहेगा परंतु अन्य पदों पर निबंधक, सहयोग समितियों के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 एवं पत्रांक 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुरूप आरक्षण लागू किए जाएँगे।

(iii) अध्यक्ष/ सचिव जैसे एकल पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iv) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय .... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में ....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को ....(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक .... (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक ....से दिनांक...................................... तक ....बजे से .... बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक ....को ....(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vii) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ....को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक ....(स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(viii) प्रपत्र-ई० 6 तथा प्रपत्र-ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जायेगा ।

(ix) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक .... को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक होगा :-

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम/ पता
(1)	
(2)	
(3)	

परिशिष्ट-1

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि एवं अभिलेख अपलोड करने से संबंधित निर्देश।

1. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट- **http//bsea.bihar.gov.in** पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में ससमय निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है-

क्र०	सूचना प्रविष्टि का समय	प्रविष्ट/ अपलोड की जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र- ई० 1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है। **साथ ही प्रपत्र- ई० 1 को उपलोड भी करना है।**
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वत: ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है।

2. <u>प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा।</u> अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के <u>तीन दिनों के पश्चात्</u> संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

3. **निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निम्नांकित अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय सीमा में अपलोड किया जाना है-**

क्र०	अभिलेख अपलोड का समय	अपलोड किये जाने वाले अभिलेख
i.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र- ई0 18)।
ii.	मतगणना के एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White

642

		(रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-Pdf, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पैक्स के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्या न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

प्रपत्र- ई० 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) एवं अंतिम मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अतएव निर्वाचन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने निगरानी में उक्त दोनों अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायें। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा। वेबसाईट पर प्रविष्टि अथवा अभिलेख को अपलोड करने के संदर्भ में किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्राधिकार के पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता है। इसके अलावे निम्नांकित नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है-

1. श्री वेद प्रकाश - 7543014562

-o-